न्यूज़ टुडे

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधित कैशलेस उपचार योजना शुरू की

इस योजना का उद्देश्य देश भर में **सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को कैशलेस उपचार** उपलब्ध कराना है।

- इससे पहले, **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 2024 में कैशलेस उपचार योजना पर एक पायलट प्रोजेक्ट** शुरू किया था।
- सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कैशलेस उपचार का कानूनी आदेश, **मोटर वाहन अधिनियम, 1988** के तहत प्रदान किया गया है। 1988 के अधिनियम को **मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित** किया गया है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **उपचार लागत:** अधिकतम **7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख रुपये** तक की सहायता प्रदान की जाएगी, बशर्ते पुलिस को दुर्घटना के बारे में **24 घंटे के भीतर सूचित** किया जाए।
  - इसके अतिरिक्त, **हिट-एंड-रन मामलों के लिए, मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपये** तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)** द्वारा पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों आदि के साथ समन्वय करके कार्य किया जाएगा।
  - **इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (eDAR) एप्लिकेशन** NHA को योजना के कार्यान्वयन में मदद करेगी।
- **कवरेज: सभी तरह की सड़क दुर्घटनाओं** पर लागू होगी।

योजना की आवश्यकता/ प्रासंगिकता

- **मृत्यु दर में कमी:** पिछले वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण **1.8 लाख मौतें** हुई थीं और इनमें से **66% दुर्घटनाएं 18 से 34 वर्ष की आयु के व्यक्तियों** के साथ हुई थीं।
- **गुड समैरिटन को प्रोत्साहित करना:** गुड समैरिटन वह व्यक्ति होता है, जो आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है।
- इसके अलावा यह **गोल्डन ऑवर (यातायात दुर्घटना के बाद पहला घंटा)** के दौरान उपचार में भी मदद करेगी।

भारत में सड़क सुरक्षा संबंधी पहलें

- ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना का कारण बनने वाले स्पॉट्स) की पहचान
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (2010)
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद
- सड़क सुरक्षा ऑडिट्स
- एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस

विदेश मंत्री ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन से पहले भारत के प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला

प्रवासी भारतीय दिवस **प्रत्येक दो वर्षों में एक बार मनाया** जाता है। इसे 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के साथ **प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत** करना है।

- **09 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आये थे।** यह दिवस इसी की स्मृति में मनाया जाता है।

भारतीय प्रवासी

- **भारतीय प्रवासियों के बारे में:** उन लोगों को भारतीय प्रवासी कहा जाता है, जो **उन क्षेत्रों से चले गए हैं, जो वर्तमान में भारतीय गणराज्य की सीमाओं के भीतर हैं।**
- **इनमें शामिल हैं:** अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI)।
  - **2015** में PIO और OCI कार्ड धारकों को एक श्रेणी **OCI** के अंतर्गत मिला दिया गया था।
- **भारतीय प्रवासियों की स्थिति:** मई 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग **35.42 मिलियन** प्रवासी भारतीय हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इनमें लगभग **15.85 मिलियन NRIs** शामिल हैं।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका** में सबसे अधिक **5.4 मिलियन** प्रवासी भारतीय हैं।

प्रवासी भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान

- **आर्थिक:** प्रवासी भारतीयों द्वारा **विदेशों से भेजी जाने वाली धनराशि देश (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों) के सामाजिक-आर्थिक विकास** के लिए महत्वपूर्ण है।
- **ज्ञान हस्तांतरण:** प्रवासी भारतीयों से **हस्तांतरित होने वाला तकनीकी ज्ञान और वित्त** भारत के घरेलू उद्यमशीलता इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है।
  - इससे विदेशी निवेशकों में **विश्वास सृजित करने में मदद** मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह बढ़ता है।
- **कूटनीति:** दक्षिण एशिया व पश्चिम एशिया में प्रवासी भारतीयों की विशाल आबादी परस्पर संबंधों को बढ़ाने व पोषित करने में योगदान देती है। साथ ही, भारत की वैश्विक छवि को सकारात्मक रूप से आकार देने का अवसर भी प्रदान करती है।
- **भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना:** वे भारतीय संगीत, भोजन, आध्यात्मिकता आदि को लोकप्रिय बनाकर सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार **भारत की सॉफ्ट पावर को मज़बूत** कर रहे हैं।

संबद्ध शब्दावलियां

OCI कार्डधारक
नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकृत।

NRI
भारतीय नागरिक जो सामान्यतः विदेश में रहता है तथा जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है।

PIO
भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसके पास विदेशी पासपोर्ट हो।

प्रवासी भारतीयों के साथ सहभागिता बढ़ाने के लिए शुरू की गई कुछ पहलें

- **ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) योजना:** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से शुरू की गई है।
- **भारत को जानो कार्यक्रम (KIP):** यह 21-35 वर्ष की आयु के भारतीय प्रवासी युवाओं के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय प्रवासी युवाओं को भारत के बारे में जानकारी देकर, उन्हें अपने पैतृक देश से जोड़ना है।
- **भारतीय समुदाय कल्याण निधि (ICWF):** इस कोष का गठन संकट और आपातकाल के समय प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर चिंता जताई

शीर्ष न्यायालय ने एक वाद की सुनवाई करते हुए कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम की **धारा 5 के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS)** का गठन किया जाना था। हालांकि, अधिनियम लागू होने के बाद भी यह समिति अब तक नहीं बनाई गई है।

- इस अधिनियम के तहत **चार स्तरीय संस्थागत संरचनाएं** स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS)** इनमें से एक महत्वपूर्ण संरचना है।
  - समिति का उद्देश्य **बांध टूटने से होने वाली आपदाओं** पर रोक लगाना और बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखना है।
  - समिति की अध्यक्षता **केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अध्यक्ष** द्वारा की जाती है। समिति में **केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि तथा तीन विशेषज्ञ** शामिल होंगे।

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के बारे में

- **उद्देश्य:** बांध टूटने से जुड़ी आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करना।
- **संस्थागत तंत्र के चार स्तर**
  - **केंद्र स्तर:** राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) और NCDS; तथा
  - **राज्य स्तर:** राज्य बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन।

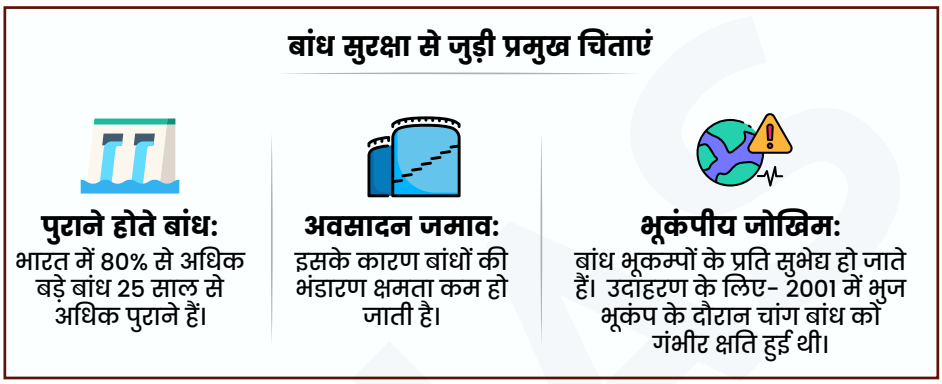

भारत में बांध सुरक्षा के लिए उठाए गए अन्य कदम

- **बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRLD):** इसे केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है।
- **बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (DRIP):** यह परियोजना विश्व बैंक (WB) तथा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) द्वारा समर्थित है।
- **अन्य:** बांधों की भूकंप से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र, डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन (DHARMA) आदि।

भारत के विदेश सचिव और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई

यह तालिबान द्वारा 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण के बाद **भारत और तालिबान के बीच उच्चतम स्तर** की बैठक थी।

- दोनों पक्षों ने **भारतीय मानवीय सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा की और व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने पर सहमति** व्यक्त की।

भारत-अफगानिस्तान संबंध

- **पृष्ठभूमि:** दोनों देश **"मैत्री संधि" (1950)** पर हस्ताक्षर के साथ **घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा** करते हैं।
- **तालिबान की वापसी:** भारत ने **आधिकारिक तौर पर तालिबान को मान्यता नहीं दी है,** लेकिन वार्ता और सहयोग जारी हैं।
  - **भारतीय दूतावास में तकनीकी टीम की तैनाती:** इसका उद्देश्य मानवीय सहायता प्रदान करना और अफगान लोगों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना है।
  - **आधिकारिक संयुक्त सचिव बैठक (नवंबर, 2024):** काबुल में, भारतीय राजनयिक और तालिबान के रक्षा मंत्री के बीच **पहली आधिकारिक बैठक** हुई थी।

भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्त्व

- **अवस्थिति:** अफगानिस्तान की अवस्थिति को **"हार्ट ऑफ़ एशिया"** के रूप में संबोधित किया जाता है। यह प्राचीन समय से भारत के लिए **खैबर और बोलन दर्रों** के माध्यम से मार्ग के रूप में उपयोगी रहा है।
- **स्थिरता और सुरक्षा: अधिकतर आतंकवादी समूह** अफगानिस्तान में शरण लेते हैं। अतः रचनात्मक सहयोग से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सकता है।
- **मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी:** अफगानिस्तान सामरिक रूप से मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के चौराहे पर अवस्थित है।
- **भारत की सॉफ्ट पावर संबंधी छवि को मजबूत करना: 2021 के अंत में सूखा प्रभावित अफगानिस्तान को गेहूं की आपूर्ति जैसी मानवीय सहायता** प्रदान करने से भारत की सॉफ्ट पावर छवि मजबूत हुई है।
  - भारत अफगानिस्तान में कई परियोजनाओं जैसे **अफगान-भारत मैत्री बांध; जरांज-डेलाराम राजमार्ग** आदि परियोजनाओं में शामिल है।
    - **अफगान-भारत मैत्री बांध को पहले सलमा बांध** के नाम से जाना जाता था।
- **चीन की बढ़ती भूमिका:** ऐसा माना जा रहा है कि चीन काबुल में शहरी विकास परियोजनाओं को शुरू कर रहा है। साथ ही, चीन और अफगानिस्तान के बीच राजदूतों की आधिकारिक यात्राएं भी संपन्न हो रही हैं।

मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया

यह दर्जा मराठी की **समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में उसकी भूमिका** को स्वीकार करता है।

भारत में शास्त्रीय भाषा

- **पृष्ठभूमि:** भारत सरकार ने 2004 में "**शास्त्रीय भाषाओं**" के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था।
- **शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड:** ये मानदंड 2004 में तय किए गए थे। बाद में 2024 **में भाषा विशेषज्ञ समिति ने इन मानदंडों में** संशोधन किए थे। ये मानदंड हैं:
  - संबंधित भाषा के प्रारंभिक **ग्रन्थ अति-प्राचीन** होने चाहिए। वास्तव में इस भाषा का **1500-2000 वर्षों का अभिलेखित इतिहास** होना चाहिए।
  - संबंधित भाषा का **अपना प्राचीन साहित्य/ ग्रंथों का एक संग्रह** होना चाहिए। साथ ही, इस भाषा को बोलने वाली **कई पीढ़ियां इन प्राचीन साहित्य/ ग्रंथों को अपनी विरासत मानती** हों।
  - कविता, अभिलेख और शिलालेख साक्ष्य के अलावा **संबंधित भाषा के अपने ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ** भी होने चाहिए।
  - शास्त्रीय भाषाएं और इनके साहित्य **अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो** सकते हैं। इसका अर्थ है कि **मूल भाषा-साहित्य, अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप वाले** हो सकते हैं।
- **शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त अन्य भाषाएं:** शुरुआत से 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ये हैं- **तमिल (2004 में), संस्कृत (2005 में), कन्नड़ (2008 में), तेलुगु (2008 में), मलयालम (2013 में) और ओडिया (2014 में)।**
  - हाल ही में, **मराठी** के अलावा **पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली** भाषाओं के लिए यह दर्जा स्वीकृत किया गया है।

शास्त्रीय भाषा के लाभ

- **संरक्षण और दस्तावेज़ीकरण:** शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से उस भाषा के प्राचीन ग्रंथों के दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलता है। साथ ही अनुवाद, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डिजिटल मीडिया आदि में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
- **शैक्षणिक लाभ:** शिक्षा मंत्रालय उक्त भाषाओं के विद्वानों के लिए **दो प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों** का प्रावधान करता है।
- **वित्त-पोषण:** शोध और इन भाषाओं की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है।

मराठी भाषा

- **मराठी भाषा के बारे में:** मराठी इंडो-आर्यन (भारोपीय) भाषा है। **आधुनिक मराठी का उद्भव महाराष्ट्री प्राकृत** से हुआ है, जो पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली **प्राकृत** भाषा थी। गौरतलब है कि **महाराष्ट्री प्राकृत सातवाहनों की राजकीय भाषा** थी।
  - **गाथासप्तशती, सातवाहन राजा हाल** द्वारा रचित काव्य संग्रह है। यह मराठी की सबसे प्रारंभिक ज्ञात साहित्यिक कृतियों में से एक है।

एक नए अध्ययन से पता चला है कि विश्व में ताजे जल की 24% प्रजातियों के समक्ष विलुप्त होने का खतरा है

यह अध्ययन **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)** के नेतृत्व में किया गया है। यह **IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित लाल सूची** के लिए वैश्विक स्तर पर ताजे जल में रहने वाली अलग-अलग प्रजातियों हेतु किया गया अब तक का **प्रथम** आकलन है।

इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **प्रमुख हॉटस्पॉट्स:** इसमें **विक्टोरिया झील** (केन्या, तंजानिया और युगांडा), **टिटिकाका झील** (बोलीविया और पेरू), व श्रीलंका का **आर्द्र क्षेत्र और पश्चिमी घाट** (भारत) शामिल हैं।
- **प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियां: केकड़े, क्रेफ़िश और झींगों** के समक्ष विलुप्त होने का सबसे अधिक जोखिम है। इसके बाद **ताजे जल की मछलियों** का स्थान है।
  - ताजे जल में रहने वाले **23,496 जीवों में से कम-से-कम 4,294 प्रजातियां विलुप्त** होने के उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं।
- **अन्य तथ्य:** जल की उच्च अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों और अधिक सुपोषण वाले क्षेत्रों में **संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या अधिक नहीं** है। इसके विपरीत, जल की कम अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों और कम सुपोषण वाले क्षेत्रों में **संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या अधिक** है।
  - जल की उच्च अभावग्रस्तता का अर्थ है- **जहां जल की मांग अधिक और आपूर्ति कम** है।
  - **सुपोषण या यूट्रोफिकेशन** का तात्पर्य जल में पोषक तत्वों की अधिकता से है, जिसके कारण शैवाल और पादपों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है

ताजे जल से जुड़े कुछ तथ्य

- **स्थिति:** पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्रजातियों में से लगभग 10% ताजे जल की प्रजातियां हैं।
- **महत्त्व:** ये सुरक्षित पेयजल, आजीविका, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन शमन में सहयोग प्रदान करता है।
- **ताजे जल के समक्ष खतरे:**
  - **प्रदूषण:** मुख्यतः कृषि एवं वानिकी से।
  - **क्षरण:** जैसे कृषि उपयोग के लिए भूमि में परिवर्तन करना, जल निकासी और बांधों का निर्माण आदि।
  - **अन्य:** अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ना और आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश होना।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना 1948 में की गई थी।
- **उद्देश्य: सार्वजनिक, निजी और गैर-सरकारी संगठनों** को ज्ञान एवं साधन प्रदान करना। इससे मानव प्रगति, आर्थिक विकास और प्रकृति संरक्षण एक साथ संभव हो सकेंगे।
- **सदस्यता:** यह सदस्यता वाला संघ है, जिसमें **सरकार और नागरिक समाज** दोनों क्षेत्रकों के संगठन शामिल हैं।
- **मुख्यालय:** ग्लैंड (स्विट्जरलैंड) में स्थित है।

अन्य सुर्ख़ियां

फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने **फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2025** जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- 2030 तक वैश्विक समष्टिगत रुझानों से लगभग **170 मिलियन नई नौकरियां पैदा** होने की संभावना है।
- प्रौद्योगिकी से संबंधित भूमिकाएं प्रतिशत के हिसाब से सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियां हैं। इनमें **बिग डेटा विशेषज्ञ, फिनटेक इंजीनियर** आदि शामिल हैं।
- **लिपिकीय (Clerical) और सचिवीय कर्मचारियों** की पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है।
- 2025-2030 की अवधि में कामगारों के **सभी कौशलों में से 2/5 भाग यानी 39 प्रतिशत में बदलाव लाने होंगे या वे उपयोगी नहीं** रह जाएंगे।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के बारे में

- WEF **सार्वजनिक-निजी सहयोग** के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह सहयोग और प्रगति के लिए **हितधारकों के बीच सार्थक संबंधों हेतु प्लेटफॉर्म** प्रदान करता है।

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में NGHM के अंतर्गत **भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब** की आधारशिला रखी गई।

NGHM के बारे में

- **घोषणा:** जनवरी 2023 में की गई थी।
- **मंत्रालय:** इसे **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** ने शुरू किया है।
- **उद्देश्य:** भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके घटकों के उत्पादन, उपयोग व निर्यात का **वैश्विक केंद्र** बनाना।
- **लक्ष्य:** इसका लक्ष्य **2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT)** की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
- **मिशन की उप-योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम (SIGHT):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य **इलेक्ट्रोलाइजर** के घरेलू विनिर्माण का समर्थन करना है। साथ ही, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
  - **हरित हाइड्रोजन हब्स** का विकास।

सोनोबुय (Sonobuoy)

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय नौसेना के लिए इंटरऑपरेबल सोनोबुय का सह-उत्पादन करेंगे।

- यह पहल **क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (ICET) पर भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका पहल** के उद्देश्य से जुड़ी हुई है।

सोनोबुय के बारे में

- यह हवा से लॉन्च किया जाने वाला **एक्सपेंडेबल व इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एकॉस्टिक (ध्वनिक) सेंसर** है।
- यह अन्य सोनार प्रणालियों की सटीकता बढ़ाने के लिए जल के तापमान से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है।
    - **सोनार/ SONAR (साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग)** ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र के अन्वेषण और मानचित्रण के लिए सहायक है।
- यह **पनडुब्बी-रोधी युद्ध और समुद्र विज्ञान अनुसंधान** के लिए महत्वपूर्ण है।

सेलखड़ी (Soapstone)

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने **उत्तराखंड के बागेश्वर में सेलखड़ी के अनियमित खनन** के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई।

सेलखड़ी के बारे में

- **सेलखड़ी के बारे में:** इसे **स्टिऐटाइट** के नाम से भी जाना जाता है। यह **प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टैल्क से बनी एक रूपांतरित चट्टान है।** इसका उपयोग **सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य उद्योगों** में किया जाता है।
    - स्रोत खदान के आधार पर इसमें अन्य खनिजों जैसे **अभ्रक, क्लोराइट, एम्फिबोल्स, क्वार्ट्ज** आदि की अलग-अलग मात्रा होती है।
- **स्वरूप:** ग्रे, नीला, हरा या भूरा रंग।
- **गुण:** अपेक्षाकृत नरम, बहुत सघन, और अत्यधिक ताप-प्रतिरोधी।
- **उपयोग:** काउंटरटॉप्स, सिंक, अंगीठी, मूर्तियों आदि के निर्माण व डिजाइन में।
- **भंडार:** भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार **राजस्थान (57%), उत्तराखंड (25%)** आदि।

मियावाकी तकनीक

महाकुंभ 2025 की तैयारी में मियावाकी तकनीक का उपयोग करके पिछले दो वर्षों में **प्रयागराज में लगभग 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र** में सघन वन उगाए गए हैं।

मियावाकी तकनीक के बारे में

- यह **जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी** द्वारा विकसित एक **पुनर्वनीकरण तकनीक** है।
- इस तकनीक को **शहरी क्षेत्रों में घने और देशी लघु वन विकसित** करने के लिए डिजाइन किया गया है।
    - इस विधि में प्रति वर्ग मीटर के भीतर **दो से चार प्रकार के देशज वृक्ष, झाड़ियां, ग्राउंड कवर प्लांट्स** आदि रोपित किए जाते हैं।
    - यह तकनीक **भूमि के लघु खंडों के लिए आदर्श** है।
- यह तकनीक **संभावित प्राकृतिक वनस्पति (PNV)** की अवधारणा पर आधारित है।
    - PNV वह वनस्पति है, जो **बिना मानवीय हस्तक्षेप** के उगती है।

रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN)

एआई टच LLP (सीमित देयता भागीदारी) को **दूरसंचार विभाग की USOF की TTDF योजना के तहत वित्तीय अनुदान प्रदान** किया गया है। एआई टच 5जी RAN के लिए घटकों का विकास करेगा।

- उल्लेखनीय है कि **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) को अब "डिजिटल भारत निधि"** के नाम से जाना जाता है।

RAN के बारे में

- **इसके बारे में:** यह **वायरलेस दूरसंचार प्रणालियों** का एक प्रमुख घटक है। यह सेलफोन और कंप्यूटर जैसे उपकरणों को रेडियो लिंक के माध्यम से नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है।
    - यह **उपयोगकर्ता उपकरण और कोर नेटवर्क के बीच संचार की सुविधा** प्रदान करता है। कोर नेटवर्क **ग्राहक के डेटा और स्थान की जानकारी का प्रबंधन** करता है।
- **घटक:**
    - **एंटीना:** विद्युत संकेतों को रेडियो तरंगों में परिवर्तित करना;
    - **रेडियो:** डिजिटल सूचना को संकेतों में बदलना; तथा
    - **बेसबैंड यूनिट्स (BBUs):** संकेतों को प्रोसेस करना।

आर्टिजियन दशाएं

हाल ही में, **राजस्थान के जैसलमेर** के एक गांव में आर्टिजियन दशाएं देखी गई।

आर्टिजियन दशाएं

- इसके तहत **भूमिगत जल अपेक्षाकृत अभेद्य या अपारगम्य चट्टान की परतों में फंसा रहता है।**
    - यह **पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में कम पारगम्य चट्टानों से घिरा** रहता है। इसके परिणामस्वरूप, भूमिगत दबाव बहुत अधिक हो जाता है।
- आर्टिजियन दशाएं तब बनती हैं, जब भूजल का प्रवाह **पुनर्भरण क्षेत्र से निम्न ऊंचाई वाले निकासी बिंदु** तक होने लगता है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक जल सोते (Springs), ड्रिलिंग उद्योग, आदि।
    - ट्यूबवेल या कुएं से पानी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पंप की जरूरत होती है, लेकिन आर्टिजियन जल स्वयं भूमिगत दबाव के कारण ऊपर धरातल की ओर निकलने लगता है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि **भारत में LPG कनेक्शंस की संख्या 2014 के 14.52 करोड़ से दोगुनी से अधिक होकर 2024 में 32.83 करोड़** हो गई है।

- इनमें से **10.33 करोड़** LPG कनेक्शन PMUY के तहत प्रदान किए गए हैं।

PMUY, 2016 के बारे में

- **उद्देश्य:** ग्रामीण और वंचित परिवारों को **खाना पकाने के लिए LPG जैसा स्वच्छ ईंधन उपलब्ध** कराना। यह योजना पारंपरिक खाना पकाने के ईंधनों जैसे **लकड़ी, कोयला, गाय के गोबर के उपले** आदि के उपयोग को कम करने के लिए बनाई गई है।
- **लाभार्थी:** निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित वयस्क महिला को कनेक्शन दिया जाता है-
    - अनुसूचित जाति (SC);
    - अनुसूचित जनजाति (ST);
    - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आदि।
- **मंत्रालय:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

मलेशिया (राजधानी: कुआलालंपुर)

भारत और मलेशिया ने **आतंकवाद-रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी पहली सुरक्षा वार्ता** आयोजित की।

मलेशिया के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
    - **अवस्थिति:** यह **दक्षिण-पूर्व एशिया में भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर** में अवस्थित है।
    - **दक्षिण चीन सागर इसे प्रायद्वीपीय मलेशिया** (पश्चिम मलेशिया) और **पूर्वी मलेशिया** (बोर्नियो द्वीप पर) में विभाजित करता है।
- **सीमावर्ती देश:** इसकी स्थलीय सीमाएं **थाईलैंड, ब्रुनेई और इंडोनेशिया** से लगती है तथा समुद्री सीमाएं **फिलीपींस, सिंगापुर व वियतनाम** से लगती है।
    - **सीमावर्ती जल निकाय:** मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
    - **प्रमुख पर्वत:** मेन रेंज।
    - **सबसे ऊंची चोटी:** माउंट किनाबालु (4,095 मीटर)
    - **प्रमुख नदियां:** पहांग, राजंग, किनाबटांगन आदि।